**न्यायालय :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)**
**पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 08/2021**
**प्रकरण दर्ज तिथि :– 13.07.2021**
**जीसीएमएस नम्बर :– 2021/97**

प्रार्थी

पृथ्वीसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–रावणा राजपुत, निवासी–बर, तहसील–रायपुर,

**बनाम**

**अप्रार्थी**

1. तहसीलदार रायपुर

**प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट**

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थी

**निर्णय** **दिनांक : 12.07.2022**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर, तहसील रायपुर खातेदारी काश्त सुदा भुमि सरहद मौजा ग्राम बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर, तहसील रायपुर के खसरा सं. 254 व 254/3 रक्बा क्रमशः 2.3795 हैक्टेयर व 1.7968 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात की सवत् 2073–2076 की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेश एवं पटवारी हल्का बर की सींमाकन बाबत् पालना रिर्पोट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से जाना जाएगा। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थी की उक्त विवादित भुमि पुश्तैनी भुमि है। उक्त भुमि पर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा काश्त है जो बिना रोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता का भी कब्जा चला आ रहा था एवं प्रार्थी के पिता के फोत होने के पश्चात् उसी कृषि भुमि पर आज दिंनाक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्राथी काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की भुमि पर वक्त बॅटवाडा से पुर्व माट कायम की हुई है एवं राजस्व रेकर्ड मे तरमीन है जो कब्जा अनुसार सही है। जिस अनुसार प्रार्थी काबिज होकर बिना रोकटोक काश्त कर रहे है। प्रार्थी जानवरों से अपनी फसल बचाने हेतु पत्थर गड्डी करवाना चाहते है। प्रार्थी की भुमि का प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 के आदेशानुसार हल्का पटवारी बर के द्वारा सींमाकन कीया गया सींमाकन किया जाकर प्रार्थी को सींमाओं से अवगत करवाया गया एवं चारों तरफ मुस्तगील प्राइन्ट का निशान लगाये गयें। प्रार्थी अपनी भुमि पर भविष्य मे होने वाली समस्या से बचने के लिए पत्थर गड्डी करवाना चाहता है एव पत्थर गड्डी हो जाने पर अपनी भुमि चारो तरफ तारबंदी/दिवार करवाना चाहता है। क्योकि प्रार्थी की भुमि पर पडौसी खातेदार कब्जा करने की

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

नियत रखते है। जिससे प्रार्थी को भारी हानि की समस्या का सामना करना पड रहा है। उक्त आदेश हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के यहा सीमाकन हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर ने दिंनाक 05/01/2022 को हल्का पटवारी बर को सींमाकन हेतु आदेश दिया जिसकी पालना मे हल्का पटवारी बर ने दिंनाक 03/02/2021 को सींमाकन करने मौके पर पहूचे एवं सींमाकन कीया गया सींमाकन ग्राम की सीमाचिन्हों के सापेक्ष व आस पडौस के खसरान की माठों की सहायता से किया जाकर प्रार्थी को सींमाओं से अवगत करवाया गया जब प्रार्थी ने पत्थर गड्डी करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने बताया की न्यायलय से पत्थर गड्डी के आदेश लाकर देने पर ही पत्थर गड्डी किया जा सकता है। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित किया जावे कि उक्त भुमि का सींमाकन अनुसार प्रार्थी की भुमि मे पत्थरगड्डी करवाने तक मौके पर अपनी उपस्थिति रहे जिससे प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाले आर्थिक नुकसान से, अन्य खातेदारो से लडाई झगडै होने की सम्भावना से बचा जा सकें। एवं प्रार्थी की भुमि पर कोई हक अधिकार नही जताये। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भुमि श्रीमान के श्रवाणधिकार मे एवं श्रीमान के श्रेत्राधिकार मे है । प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र पर नियत न्यायशुल्क पेश है।

अतः जरिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त सुदा भुमि सरहद मौजा ग्राम बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षेत्र बर, तहसील रायपुर के खसरा सं. 254 व 254/3 रक्बा क्रमशः 2.3795 हैक्टेया व 1.7968 की खातेदारी भुमि का नाप चौप कर खेत की सीमा ज्ञात कर व पैमाईश करवाकर उक्त भुमि कि चारो ओर पत्थरगडी करवाया जाना कानुनी रुप से आवश्यक है जिस कारण विवादित भुमि का सींमाकन एवं पत्थर गड्डी करवाने का आदेश फरमाये, पडोसी खातेदार को प्रार्थीगण की भुमि पर कब्जा नही करने हेतु पांबद करते हुए राजस्व रेकर्ड अनुसार नये सिरे से माठ कायम करने का आदेश फरमावे ताकि मौके पर शाति व्यवस्था बनी रहै एवं आवश्यकता होने पर पुलिश प्रशासन भी उपलब्ध करवाये।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रार्थी स्वयं मौजा बर के खसरा नम्बर 254, 254/3 को खातेदार हैं।मौजा बर के खसरा नम्बर 254, 254/3 के खातेदार को पूर्व में दिनांक 03.02.2021 को सीमाज्ञान कराया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 254, 254/3 के पडौसी खातेदारों द्वारा मेड आगे बढाकर आंशिक अतिक्रमण किया हैं। प्रार्थी द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में अपनी खातेदारी भूमि मौजा बर के खसरा नम्बर 254, 254/3 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। जिसे श्रीमान् के आदेश होने पर मौके पर पत्थरगढी करा कर पालना कर दी जायेगी। बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा सरहद मौजा ग्राम बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर, तहसील रायपुर के

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

खसरा सं. 254 व 254/3 रकबा क्रमशः 2.3795 हैक्टेयर व 1.7968 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर, तहसील रायपुर के खसरा सं. 254 व 254/3 रकबा क्रमशः 2.3795 हैक्टेयर व 1.7968 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रकिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**